

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

संचिका संख्या : : ७ब / ४७०० यो०ज०सं०-०३/१२ ३३ / रॉची, दिनांक :- २८.५.१२

(शुद्धि - पत्र)

मुख्य शीर्ष ४७०० के अन्तर्गत सुवर्णरेखा परियोजना हेतु निर्गत विभागीय आवंटन आदेश संख्या -१९, दिनांक - २१.०५.२०१२ एवं २९, दिनांक - २१.०५.२०१२ के कंडिका- ४ को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है।

"आवंटित राशि का व्यय विभागीय पत्रांक १/पी. एम. सी./कार्य/४०४/०६(पार्ट-II) १९/१०-११ प्र० स्वी०; रॉची, दिनांक: १४.१०.१० द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति एवं सक्षम प्रधिकार द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति के अनुरूप परिशिष्ट II में अंकित कार्यों के लिए किया जायेगा।"

2. उक्त आवंटन आदेश की अन्य शर्ते एवं कंडिकाएँ यथावत् रहेगी।
3. उक्त आवंटन आदेश को इस हद् तक संशोधित समझा जाय।

मा।  
(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :-

३३

रॉची, दिनांक :-

२८.५.१२

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/जमशोदपुर/चाईबासा/घाटशिला/सरायकेला-खरसौवा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मा।  
(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :-

३३

रॉची, दिनांक :-

२८.५.१२

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/सचिव योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/प्रशासक, स्वर्ण रेखा परियोजना/ मुख्य अभियंता, चाप्पिल कम्पलेक्स/ मुख्य अभियंता, ईचा-गालूडीह/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग/ संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशास्त्रा-७ को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मा।  
(ओंकार नाथ)  
सहायक अभियंता

गृ.  
(जयप्रकाश भट्टाचार्य)  
उप सचिव (अभि.)

गृ.  
(सुबोध कुमार सिन्हा)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

मा।  
(बी. सी. निगम) (एस० के० शतपथी)  
विशेष सचिव प्रधान सचिव